न्यायालय श्रीमती नीलिमा तक्षक, आर.ए.एस. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 04/2020 (जीसीएमएस संख्या – 2020/00004)
सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2023

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में आराजी ख0न0 1 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है और कॉलम सं0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में ब्रिदीचन्द वगैराह खाता नं0 1 व कॉलम सं0 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में सिवायचक बिला लगानी अंकित है, जो भू–प्रबन्ध सम्वत् 1989–2009 में परिवर्तित होने से वर्तमान रिकार्ड में ख0नं0 14 रकबा 0.27 हे0 व ख0 नं0 16 रकबा 0.35 हे0 किता 2 कुल रकबा 0.62 हेक्टर दर्ज है। वादग्रस्त आराजी खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा सम्वत् 2009–2012 में ख0नं0 1 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0 नला मकबूजा ठिकाना दर्ज है वादग्रस्त आराजी जरिऐ नामान्तरकरण सं0 18 दिनांक 18.03.2003 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। यह आराजी मूल रूप से सिवायक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज होने के बावजूद जरिऐ हस्तान्तरण अप्रार्थी के नाम अंकित की गई है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा की आराजी ख0न0 1 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 14 रकबा 0.27 हे0 व ख0 नं0 16 रकबा 0.35 हे0 किता 2 कुल रकबा 0.62 हे0 की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से निरस्त करने एवं वापिस सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गै0मु0 नला दर्ज किये जाने के आदेश हेतु रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र राजस्व मण्डल को भिजवाया जावे।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

नीलिम

Scanned with OKEN Scanner

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थी जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधि–विधान एवं तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत किया गया है। विवादग्रस्त आराजी कभी किसी की निजी खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं रही है। नियमानुसार संधारित राजस्व अभिलेख मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में आराजी ख0न0 1 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है और कॉलम सं0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में ब्रिदीचन्द वगैराह खाता नं0 1 व कॉलम सं0 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में सिवायचक बिला लगानी अंकित है, जो भू–प्रबन्ध सम्वत् 1989–2009 में परिवर्तित होने से वर्तमान रिकार्ड में ख0नं0 14 रकबा 0.27 हे0 व ख0 नं0 16 रकबा 0.35 हे0 किता 2 कुल रकबा 0.62 हेक्टर दर्ज है। वादग्रस्त आराजी खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा सम्वत् 2009–2012 में ख0नं0 1 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0 नला मकबूजा ठिकाना दर्ज है वादग्रस्त आराजी जरिऐ नामान्तरकरण सं0 18 दिनांक 18.03.2003 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जो प्रांरभ से शून्य है और शून्य आधारित अधिकारो से दर्ज राजस्व अभिलेख में दर्ज इन्द्राज के आधार पर कोई इन्द्राज किया गया है तो वह भी प्रांरभ से शून्य है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गै0मु0 नला दर्ज है। वादग्रस्त आराजी खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा सम्वत् 2009–2012 में ख0नं0 1 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0 नला मकबूजा ठिकाना दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक बिला लगानी गै0मु0 नला भूमि की निजी खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अति. कलक्टर जयपुर

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में आराजी ख0न0 1 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है और कॉलम सं0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में ब्रिदीचन्द वगैराह खाता नं0 1 व कॉलम सं0 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में सिवायचक बिला लगानी अंकित है, जो भू–प्रबन्ध सम्वत् 1989–2009 में परिवर्तित होने से वर्तमान रिकार्ड में ख0नं0 14 रकबा 0.27 हे0 व ख0 नं0 16 रकबा 0.35 हे0 किता 2 कुल रकबा 0.62 हेक्टर दर्ज है। वादग्रस्त आराजी खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा सम्वत् 2009–2012 में ख0नं0 1 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0 नला मकबूजा ठिकाना दर्ज है वादग्रस्त आराजी जरिऐ नामान्तरकरण सं0 18 दिनांक 18.03.2003 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में निजी खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर मुमकिन नाला दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 06.11.2023 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.08.2023 को सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner